राजस्थान सरकार

न्यायालय उप जिला कलक्टर सैंपऊं, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – दीपक सिंह खटाना (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या–28/2021

1–बहादुर 2–मंगलसिंह पुत्रगण जयसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम मानपुरिया भागना तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर (राज0)

...............वादीगण

बनाम

1–गुलवो पत्नी फूलसिंह 2–सूआ 3–रामदीन 4–ओमप्रकाश पुत्रान 5–रामरती 6–गौरा 7–मीना पुत्रीयान पिसरान फूलसिंह जाति कुशवाह निवासी मजरा मानपुरिया भागना तहसील सैपऊ 8–भूरीदेवी पत्नी रामभरोसी 9–सुल्तान 10–बनिया 11–बन्टी 12–जीतू 13–नहना 14–वीरू पुत्रान 15–गुडिया पुत्री पिसरान रामभरोसी जाति कुशवाह निवासी ग्राम मजरा मानपुरिया (भागना) तहसील सैपऊ

..................असल प्रतिवादीगण

16–छिंगाराम 17–मुरारीलाल 18–रामबाबू पुत्रान 19–गुड्डी 20–राजकुमारी 21–ललिता पुत्रीयान 22–सोनदेवी पत्नी पिसरान जयसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम मजरा मानपुरिया (भागना) तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

23–भूमि विकास बैंक शाखा धौलपुर जरिये प्रबन्धक

24–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वहैसियत लैण्ड होल्डर

..................तरतीवी प्रतिवादीगण

<u>वाद वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>आधीन धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट</u>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

उपस्थिति – 1–श्री शेषकुमार शर्मा एडवोकेट ....(वादीगण)
2–श्री हजरत खां एडवोकेट......... (प्रतिवादी संख्या–16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

<u>निर्णय</u>

दिनांक 29.09.2022

संक्षिप्त में उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते विवादित आराजी खाता संख्या 49 के खसरा नम्बर 1627, 1746, 1748, 1761, 1767, 1790 कुल किता 6 कुल रकवा 1.2392 हैक्टेयर वाकेग्राम भागना पटवार हल्का मालौनीखुर्द, खाता संख्या 55 के खसरा नम्बर 2097, 2098 कुल किता 2 कुल रकवा 0.3414 हैक्टेयर वाकेग्राम झारपुरा पटवार हल्का मालौनीखुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण की ओर बाबजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं गुणावगुण के आधार पर दावा दिनांक 11.05.2022 को दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एंव प्रतिवादी के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सो के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्रांक:राजस्व/2022/455 दिनांक 01.07.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें। प्रतिवादीगण संख्या–16 लगायत 22 की ओर श्री हजरत खां एडवोकेट उपस्थित हुये। विभाजन प्रस्ताव पर विद्वान वादी एवं प्रतिवादी अभिभाषकगण को सुना गया तथा उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री करने का निवेदन किया। तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के बावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है। ऐसी स्थिति में दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम भागना, झारपुरा पटवार हल्का मालौनीखुर्द तहसील सैपऊ के बावत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1–बहादुरसिंह, मंगलसिंह, छिंगाराम, मुरारीलाल, रामबाबू पुत्रान जयसिंह गुड्डी, राजकुमारी, ललिता पुत्रीयान जयसिंह, सोनदेवी पत्नी जयसिंह हिस्सा बराबर जाति कुशवाह सा0 मानपुर का पुरा मजरा भागना खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	1761/1	0.1265	चा.सो.
2–	1767	0.1391	बा.सो.
3–	1790	0.3920	बा.सो.
4–	2097/2	0.1327	बा.सो.

योग किता–4 रकवा– 0.7903 हैक्टेयर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

2–गुलबी पत्नी फूलसिंह, सुआ, रामदीन, ओमप्रकाश पुत्रान फूलसिंह, रामरती, गौरा, मीना, पुत्रीयान फूलसिंह हिस्सा बराबर 1/2 भूरीदेवी पत्नी रामभरोसी, सुल्तान, बनिया उर्फ भगवन्त, बन्टीराम, जीतू, नहना, वीरेन्द्रसिंह पुत्रान रामभरोसी, गुडिया पुत्री रामभरोसी हिस्सा बराबर 1/2 जाति कुशवाह सा0 मानपुर का पुरा मजरा भागना खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	1627	0.0253	बा.सो.
2–	1746	0.2908	बा.सो.
3–	1748	0.1265	चा.सो., जा.सो.
4–	1761/2	0.1390	चा.दो.
5–	2097/1	0.1328	बा.सो.
6–	2098	0.0759	बा.अ.

योग किता–6	रकवा– 0.7903 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। एवं उभयपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह एक–दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व दफा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

उप जिला कलक्टर
सैपऊ
उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

राजस्थान–सरकार

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

अदालत – उप जिला कलक्टर सैंपऊ
इजलास –दीपक सिंह खटाना (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या–28 / 2021

1–बहादुर 2–मंगलसिंह पुत्रगण जयसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम मानपुरिया भागना तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज0)

................वादीगण

बनाम

1–गुलवो पत्नी फूलसिंह 2–सूआ 3–रामदीन 4–ओमप्रकाश पुत्रान 5–रामरती 6–गौरा 7–मीना पुत्रीयान पिसरान फूलसिंह जाति कुशवाह निवासी मजरा मानपुरिया भागना तहसील सैपऊ 8–भूरीदेवी पत्नी रामभरोसी 9–सुल्तान 10–बनिया 11–बन्टी 12–जीतू 13–नहना 14–वीरू पुत्रान 15–गुडिया पुत्री पिसरान रामभरोसी जाति कुशवाह निवासी ग्राम मजरा मानपुरिया (भागना) तहसील सैपऊ ....असल प्रतिवादीगण

16–छिंगाराम 17–मुरारीलाल 18–रामबाबू पुत्रान 19–गुड्डी 20–राजकुमारी 21–ललिता पुत्रीयान 22–सोनदेवी पत्नी पिसरान जयसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम मजरा मानपुरिया (भागना) तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

23–भूमि विकास बैंक शाखा धौलपुर जरिये प्रबन्धक

24–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वहैसियत लैण्ड होल्डर

..................तरतीवी प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

<u>वाद वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>आधीन धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट</u>

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ दीपक सिंह खटाना (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री शेषकुमार शर्मा एडवोकेट एवं मिनजानिव मुद्दायलह श्री हजरत खां एडवोकेट को पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है। कि दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम भागना, झारपुरा पटवार हल्का मालौनीखुर्द तहसील सैपऊ के बावत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1–बहादुरसिंह, मंगलसिंह, छिंगाराम, मुरारीलाल, रामबाबू पुत्रान जयसिंह गुड्डी, राजकुमारी, ललिता पुत्रीयान जयसिंह, सोनदेवी पत्नी जयसिंह हिस्सा बराबर जाति कुशवाह सा0 मानपुर का पुरा मजरा भागना खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	1761 / 1	0.1265	चा.सो.
2–	1767	0.1391	बा.सो.
3–	1790	0.3920	बा.सो.
4–	2097 / 2	0.1327	बा.सो.
योग	किता–4	रकवा– 0.7903 हैक्टेयर	

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

...पत्नी फूलसिंह, सुआ, रामदीन, ओमप्रकाश पुत्रान फूलसिंह, रामरती, गौरा, मीना, ... फूलसिंह हिस्सा बराबर 1/2 भूरीदेवी पत्नी रामभरोसी, सुल्तान, बनिया उर्फ भगवन्त, ...म, जीतू, नहना, वीरेन्द्रसिंह पुत्रान रामभरोसी, गुडिया पुत्री रामभरोसी हिस्सा बराबर ...2 जाति कुशवाह सा0 मानपुर का पुरा मजरा भागना खातेदार।

...सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1—	1627	0.0253	बा.सो.
2—	1746	0.2908	बा.सो.
3—	1748	0.1265	चा.सो., जा.सो.
4—	1761/2	0.1390	चा.दो.
5—	2097/1	0.1328	बा.सो.
6—	2098	0.0759	बा.अ.
योग	किता—6	रकवा— 0.7903 हैक्टेयर	

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक—पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। एवं उभयपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह एक—दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व दफा दाखिल दफ्तर हो।

वशव्द मेरे एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29.09.2022 को जारी की गई।

(दीपक सिंह खटाना)
उप जिला कलक्टर
सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ